

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार (छ.ग.) के वित्त पर प्रस्तुत इस प्रतिवेदन का प्रयोजन 2016–17 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करने और राज्य विधान सभा को वित्तीय आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित जानकारी प्रदान करता है। यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (संशोधित), 2017 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, चौदहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन तथा वर्ष 2016–17 के बजट अनुमानों के विरुद्ध वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण करने का प्रयास है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

आध्याय–1 वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2017 को छत्तीसगढ़ सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करती है। यह ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी एवं ऋणों के पुर्णभुगतान पर व्यय और लिये गये उधार के स्वरूप की प्रवृत्तियों की अंतहस्ति प्रस्तुत करता है।

आध्याय–2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोजनों एवं रीति, जिसमें आबंटित संसाधनों का सेवा प्रदाता विभाग द्वारा प्रबंधन किया गया, का अनुदानवार व्याख्या प्रस्तुत करता है।

आध्याय–3 विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमावलियों के छत्तीसगढ़ सरकार के अनुपालन की सूची है।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

इस प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण निष्कर्षों का एक सारांश मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य और सामाजिक क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में एक अलग अध्याय के रूप में भी शामिल किया गया है।